सकेगा :—
ाहित्य, विज्ञान
के सामान्य
या निर्वहण के
लाकृतियों की
क इतिहास के
इनों के लिये

सुमित्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था लोसल

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम सुमित्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल, लोसल समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा। बस स्टैण्ड, सीकर रोड

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र** : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय लोसल ~~[illegible]~~ सीकर है। सीकर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य** : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :—

1. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार शिक्षा देना।
2. मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक जागृति पैदा कर बोद्धिक एवं शारीरिक विकास।
3. वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल-कुद की व्यवस्था करना तथा योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन।
4. छात्रावास, पुस्तकालय तथा प्रौढ शिक्षा का प्रबन्ध एव सचांलन करना।
5. कला, उद्योग एवं विज्ञान की शिक्षा तथा संस्था के उद्देश्यो की पुर्ति हेतु अन्य कार्य करना।
6. संस्था सन्चालन हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी जन समूहो से आर्थिक सहायता एवं शुल्क प्राप्त करना
7. स्वतन्त्रता, समानता न्याय, धर्मनिरपेक्षता तथा लोक कल्याण के उद्देश्यो की पुर्ती करना।
8. ग्रामीण क्षेत्रो मे शिक्षा का प्रसार, छात्राओं एवं पिछड़ी जातियो के छात्रो को प्रोत्साहन।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित **नहीं है**।

अध्यक्ष (डॉ. अश्विनी वशिष्ठ) मन्त्री कोषाध्यक्ष

प्रतिलिपार संस्थाएँ

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :—

क्र सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता
1.	श्योराम सिंह S/o श्री गोरधन राम	अध्यापक	मु. बिजारणियां की ढाणी पो. सिंहरावट जि. सीकर
2.	बजरंग लाल S/o श्री भंवर लाल	अध्ययनरत	मु. हरीपुरा पो. लोसल जि. सीकर
3.	रनबीर सिंह S/o श्री बनवारी लाल	अध्यापक	मु. बिजारणियां की ढाणी पो. सिंहरावट जि. सीकर
4.	नेमीचन्द S/o श्री धन्ना राम	अध्ययनरत	मु. बिजारणियां की ढाणी पो. सिंहरावट जि. सीकर
5.	हीरा लाल शेषमा S/o श्री त्रिलोका राम	कृषि	मु. हरीपुरा पो. लोसल जि. सीकर
6.	सुवा लाल S/o श्री बेगा राम	कृषि	मु. रामपुरा पो. लोसल जि. सीकर
7.	नेमी चन्द पालीड़ S/o श्री रूप सिंह पालीड़	शिक्षक	मु. पो. बगड़ी जि. सीकर
8.			
9.			
10.			
11.			

4

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है :—

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
	श्योराम सिंह S/o श्री गोरधन राम	अध्यापक	मु. बिजारणियां की ढाणी पो. सिंहरावट जि. सीकर	(signature)
	बजरंग लाल S/o श्री भंवर लाल	अध्ययनरत	मु. हरीपुरा पो. लोसल जि. सीकर	(signature)
	रनबीर सिंह S/o श्री बनवारी लाल	अध्यापक	मु. बिजारणियां की ढाणी पो. सिंहरावट जि. सीकर	Ranbir Singh
	नेमीचन्द S/o श्री धन्ना राम	अध्ययनरत	मु. बिजारणियां की ढाणी पो. सिंहरावट जि. सीकर	Nemi
	हीरा लाल शेषमा S/o श्री त्रिलोका राम	कृषि	मु. हरीपुरा पो. लोसल जि. सीकर	Hira
	सुवा लाल S/o श्री बेगाराम	कृषि	मु. रामपुरा पो. लोसल जि. सीकर	(signature)
	नेमी चन्द पालीड़ S/o श्री रूप सिंह पालीड़	शिक्षक	मु. पो. बगड़ी जि. सीकर	नेमीचन्द पालीड़
	शंकर लाल कुमावत S/o श्री लिछमी चन्द	अध्ययनरत	मु. पो. लोसल वार्ड नं. 11 जिला सीकर	Shankarlal
	रामनिवास रायल S/o श्री मोहनलाल रायल	व्यापार	मु. पो. छोटी लोसल जिला सीकर	(signature)
	शिवपाल सिंह S/o श्री गणपत राम	अध्यापक	मु. पो. खुडी बड़ी त. लक्ष्मणगढ़ जि. सीकर	(signature)
	ओमप्रकाश लेवड़ा S/o श्री उल्लू राम	अध्यापक	मु. पो. अलखपुरा बोगान जि. सीकर	(signature)

5

क्र.सं	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
12				
13				
14				
15				

सुमित्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल ... संघ विधान पत्रक ... प्रमाणित ... है

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को ह... जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है । हम यह भी घोषित कर... हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं ।

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

चिकित्सा अधिकारी
प्रा. स्वा. केन्द्र
लोसल (सीकर)

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

भागीरथ मल जा...
प्राध्...
रा० उ० मा० वि०...
न्यापकसीकर

नाम संस्था सुमित्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम सुमित्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा ।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र** : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय लोसल प. स. दांतारामगढ़ है तथा इसका कार्यक्षेत्र सीकर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा ।

3. **संस्था के उद्देश्य** : इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

1– शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार शिक्षा देना।
2– मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सास्कृतिक एवं नैतिक जागृति पैदाकर बौद्धिक एवं शारीरिक विकास करना
3– खेलकूद की व्यवस्था, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना।
4– कला, उद्योग एवं व्यवसाय शिक्षा तथा संस्था के उद्देश्यो हेतु अन्य कार्य करना।
5– संस्था संचालन हेतु, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी जन समूहों से आर्थिक सहायता एवं शुल्क प्राप्त करना।
6– स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता तथा लोक कल्याण के उद्देश्यो की पूर्ति करना।
7– ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार, छात्राओं और पिछड़ी जाति के छात्रों ...

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

मंत्री

कोषाध्यक्ष

(श्रीमती ... वशिष्ठ)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
सीकर (राज०)

अध्यक्ष

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1–संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2–बालिक हो।

3–पागल, दीवालिये न हों।

4–संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5–संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :—

1–संरक्षक

2–विशिष्ठ

3–सम्माननीय

4–साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :—

1–संरक्षक	राशि....200/-.......वार्षिक/आजन्म	
2–विशिष्ठ	राशि.......–.........वार्षिक/आजन्म	
3–सम्माननीय	राशि.......–........वार्षिक	
4–साधारण	राशि....100/-.......वार्षिक	

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु०..........50/-..................

की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :—

1—मृत्यु होने पर

2—त्याग पत्र देने पर

3—संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4—प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे।

1—प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2—वार्षिक बजट पारित करना।

3—प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

4—संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा)

10. साधारण सभा की बैठकें

1—साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2—साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3—बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4—कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्वकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5—संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

10

अध्यक्ष मंत्री

1. **कार्यकारिणी का गठन** : संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :—

1-अध्यक्ष—एक   2-उपाध्यक्ष – एक

3-मन्त्री—एक   4-कोषाध्यक्ष—एक

5-सदस्य—सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में......4......पदाधिकारी व

......7......सदस्य कुल....11....सदस्य होंगे।

12. **कार्यकारिणी का निर्वाचन** : 1–संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2–चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3–चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. **कर्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य** : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :—

1–सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2–वार्षिक बजट तैयार करना।

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

3–संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करनाँ ।

4–वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, सेवा मुक्त करना ।

5–साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना ।

6–कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।

7–अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना ।

14. कार्यकारिणी की बैठकें : 1–कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

2–बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा ।

3–बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है ।

4–कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे । ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों

के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा ।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अकधिार व कर्त्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :—

1–अध्यक्ष

1–बैठकों की अध्यक्षता करना ।

2–मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।

3–बैठकें आहूत करना ।

4–संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।

5–संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

2–उपाध्यक्ष :

1–अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।

2–प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

3–मन्त्री :

1–बैठकें आहूत करना ।

2–कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना ।

3-आय-व्यय पर नियन्त्रण करना ।

4-वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।

5-संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।

6-पत्र व्यवहार करना ।

7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों ।

4-उपमंत्री :

1-मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना ।

2-अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें ।

5-कोषाध्यक्ष :

1-वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना ।

2-दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना ।

3-चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

4-अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1-चन्दा

14

2-शुल्क

3-अनुदान

4-सहायता

5-राजकीय अनुदान

1-उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी ।

2-अध्यक्ष / मन्त्री / कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा ।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :—

1-अध्यक्ष......500/-......रु०

2-मन्त्र......500/-......रु०

3-कोषाध्यक्ष......500/-......रु०

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी ।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखां जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा ।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा ;

15

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था ... समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्... को हस्तान्तरित करदी जावेगी लेकिन उक्त समस्त का... वाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 19... की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं ......सीकर...... को संस्था ... रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उन... द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) .... मेमोरियल प. स्कूल, ... समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्च... प्रतिलिपि है ।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

सुमित्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल संस्था लोसल (सीकर)

पंजीयन क्रमांक 39/ सीकर / 96-97

विधान संशोधन का तुलनात्मक स्टेटमेंट

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजकृत विधान का नियम	विधान में संसोधित किया गया नियम (नया नियम)
1	3	उद्देश्यों की संख्या 13	उद्देश्यों की संख्या 15

1 शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारितपाठ्यक्रम शिक्षा देना । 2 मनोवैज्ञानिक , समािजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक जागृति पैदा कर बौद्दिक एवं शारीरिक विकास । 3 वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, खेल कूद की व्यवस्था करना तथा योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन । 4 छात्रावास, पुस्तकालय तथा प्रोढ शिक्षा का प्रबंध एवं संचालन करना । 5 कला उद्योग एवं विज्ञान की शिक्षा तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य कार्य करना । 6 संस्था संचालन हेतु केंद्र सरकार , राज्य सरकार , तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी जन समूहों से आर्थिक सहायता एवं शुल्क प्राप्त करता । 7 स्वतंत्रता समानता न्याय धर्मनिरपेक्षता तथा लोककल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति करना । 8 ग्रामीण क्षेत्रो में शिक्षा का प्रसार छात्राओं एवं पिछड़ी जातियों के छात्रो को प्रोत्साहन । 9 आधुनिक एवं ओधोगिक तकनीकी स्वास्थ्य सेवा की शिक्षा के कॉलेज, शिक्षा में उच्च शिक्षा के महाविद्यालय स्थापित करना व संचालन करना । 10 संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों व महाविद्यालयों में भौतिक संशाधन उपलब्ध करवाने, भवन निर्माण, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर, नयी तकनिकी उपकरण, आदि जुटाने हेतु आवश्यक घन (वित्त)जुटाने के लिए अनुदान लेना, चंदा लेना तथा विभिन्न बैंकों से ऋण लेकर अच्छे संशाधन उपलब्ध करवाना । 11 स्वयं सेवी संस्था के रूप में कार्य करना जिसमे राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं व कार्यो के लिए सरकार से अनुदान सहयोग लेना जनजागरण, स्वच्छता शिक्षा , नारी अधिकार व जागृति, स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित करना स्वयंसेवी संस्था के सभी कार्य करना । 12 विभिन्न प्रकार के जैसे तकनिकी, औधोगिक, शिक्षा में उच्चतम (उच्च) आई. टी. आई प्रतियोगिता तैयारी, खेल कूद आदि के प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना व संचालन करना । 13 सरकार (राज्य व केंद्र) की और से जनकल्याण के लिए संचालित योजनाओं में सहभागिता के आधार पर योजनाए संचालित करना ।	1 पशु चिकित्सा(पशुओ की सम्पूर्ण स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा) के लिए तथा सभी प्रकार के जानवरो की चिकित्सा के लिए नर्सिंग कॉलेज , पशुपालन डिप्लोमा, डिग्री कॉलेज, फार्मेशी कॉलेज व अस्पताल स्थापित करना व उनका संचालन करना । 2 मानवचिकित्सा के अस्पताल नर्सिंग कॉलेज , डा. कॉलेज स्थापित करना फार्मेशी कॉलेज(B.PHAMA,D.PHARMA) स्थापित करना व उनका संचालन करना नर्सिंग होम स्थापित करना व उनका संचालन करना । प्रमाणित किया जाता है कि दस्तावेज [illegible] की पत्रावली में सम्मिलित है। पंजियक संस्थाएं सीकर

अध्यक्ष सुमित्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल संस्था लोसल /सीकर	कोषाध्यक्ष सुमित्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल - संस्था लोसल (सीकर)	सचिव सुमित्रा मेमो. पब्लिक स्कूल संस्था लोसल (सीकर)